

उत्तर प्रदेश शासन  
समाज कल्याण अनुभाग-3  
संख्या-10/2017/आर-5959/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.॥  
लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी 2017

**कार्यालय जाप**

समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-84/2016/आर-755/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.॥ दिनांक-14.04.2016 द्वारा प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012(यथा चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016" पर सम्यक्विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के सुसंगत प्रस्तरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

क्र.स			प्रतिस्थापित नियम
xvii	शुल्क	(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उसी पाठ्यक्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुये) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।	(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित नहीं हैं के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क की प्रतिपूर्ति, जो कम हो की जायेगी।
		(ड.) राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में भी छात्रों	विलोपित।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान प्रदेश के अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उसी पाठ्यक्रम में 30प्र0 सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि में से जो भी कम हो, की भांति प्रतिपूर्ति की जायेगी।	
अनुमन्य शुल्क के अभिलेखों का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण	(छ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा- तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/ सचिव/ महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 जुलाई तक निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि निर्धारित तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विगत वर्ष में सम्बन्धित पाठ्यक्रम की सक्षम स्तर से निर्धारित फीस को ही वर्तमान वर्ष की मानते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	(छ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा- तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/सचिव महानिदेशक/ निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिये शुल्क निर्धारित किया जाता है यदि किसी वर्ष विशेष में आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस का भुगतान किया जायेगा।
अर्हता	(xvii) यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।		(xvii) यदि कोई छात्र विगत वर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।

3- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (यथा संशोधित) नियमावली-2016 के शेष प्राविधान पूर्ववत् यथावत प्रभावी रहेंगे।

मनोज सिंह  
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-10/2017/आर-5959(1)/26-3-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/मा0शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 30प्र0शासन।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास 30प्र0लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- कुल सचिव, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 8- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० उ०प्र०।
- 9- सम्स्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 10- गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद  
अनुसचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।